

24/9
23

पत्रावली फिस हुई। मूल प्रकरण धारा 177 में उर्फवाही
समाप्त होने से मूल प्रकरण के अभाव में T.C प्रा. पत्र
पलने योग्य नहीं होने से अख्तियार किया जाता है। पत्रावली फिस
सुमार क्रम नंबर से कम हो।

उपजय शर्मा
बाली, जिलापाली (राज.)